<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।</u>

जे० ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735,

CNR NOUPBH010034642026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1225/12A/2026

1–मनोज पुत्र छत्रपाल
2–अनीता पत्नी मनोज
3–गीतादेवी पत्नी सुशील
4–ईशा पत्नी कोमल कुमार
5–सुशील पुत्र राम मिलन
6–कोमल कुमार पुत्र राम मिलन
निवासीगण ग्राम सिरसियनपुरवा दा० चहलवा, थाना सुजौली, जनपद बहराइच।

प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या–06/2023
धारा–147, 323, 342, 325, 504, 506 भा०द०सं०
व धारा 3(2)(VA) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
<u>थाना–सुजौली, जनपद बहराइच</u>।

<u>18.06.2026</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण मनोज पुत्र छत्रपाल, अनीता पत्नी मनोज, गीतादेवी पत्नी सुशील, ईशा पत्नी कोमल कुमार, सुशील पुत्र राम मिलन व कोमल कुमार पुत्र राम मिलन, निवासीगण ग्राम सिरसियनपुरवा दा० चहलवा थाना सुजौली, जनपद बहराइच की ओर से विशेष दाण्डिक वाद संख्या 350/2024, अपराध संख्या 06/2023, धारा–147, 323, 342, 325, 504, 506 भा०द०सं० व धारा 3(2)(VA) एस०सी०/एस०टी०एक्ट, थाना–सुजौली, जनपद बहराइच, के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। नोटिस वादिनी मुकदमा पर तामील है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण जमानत देने को तैयार है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 10.01.2023 समय करीब 21 बजे प्रार्थिनी का रिश्तेदार गोविन्द प्रार्थिनी के घर आया था रात्रि को शराब ज्यादा पी लेने के कारण वह उसके दरवाजे पर आने के बजाय प्रार्थिनी के मोहल्ले के मनोज के घर में चला गया इसी बात को लेकर उससे मार पीट व गाली गलौज कर रहे थे। सूचना पाकर प्रार्थिनी उसे छुड़ाने पहुंची तो उसे भी मनोज उनकी पत्नी व उनकी भांजी व राम मिलन की बहू दोनों व राम मिलन दोनो लड़के व रामू ने उसे भी रस्सी से बांध दिये व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गुप्ता देते हुए मारे पीटे व जान माल की धमकी दिये। अपने बचाव में शोर मचाया तो आस पास के लोग छुड़ाये तब छोड़कर डर के मारे कल थाने नहीं आयी आज सूचना दे रही हूं। मैं जाति की बाल्मीकी हूं।

अभियुक्त के अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है। रंजिशन फंसाये गये हैं। उक्त को घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण ने कोई घटना कारित नहीं की है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक

इतिहास नहीं है। एस.सी./एस.टी.एक्ट की धाराओं को छोड़कर भा०द०सं० की धारा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्व से अंतरिम जमानत पर है। उक्त कथनों के साथ जमानत पर रिहा किये जाने की याचना किया गया।

इसके विपरीत अभियोजन की तरफ से जमानत का विरोध किया गया।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा व अन्य चोटहिलों को जातिसूचक गालियां देने,बल्वा करने, मारने पीटने तथा जान से मारने की धमकी देने का प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख है। एस.सी./एस.टी.एक्ट की धाराओं को छोड़कर भा०द०सं० की धारा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवेचना के पश्चात विवेचक द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण पूर्व से अंतरिम जमानत पर है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियुक्तगण द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग किया गया हो।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में गुणदोष पर बगैर कोई मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत किया गया यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु०–25,000/–(पचीस हजार) रूपये के निजी बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के दो–दो प्रतिभू पत्र निष्पादित करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

1– प्रार्थी/अभियुक्त आरोप एवं धारा 351 बी०एन०एस०एस०(धारा 313 द०प्र०सं०) के बयान के दिनांक को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगे।

2– अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को किसी भी प्रकार से न डरायेगा, धमकायेगा और न ही अभियोजन साक्षियों से छेड़–छाड़ करेगे।

3– अभियुक्त जमानत पर अवमुक्त होने के उपरान्त न्यायालय में नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा,जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगे तथा जमानत अवधि में कोई अविधिक क्रिया कलाप नहीं करेगे।

(पवन कुमार शर्मा–II)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट),बहराइच।

दिनांकः 18.06.2026